Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11,
Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 23 अंक 15 बुधवार, फरीदाबाद, 16-30 जून, 2010 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

एसडीओ बिजली : सैशन जज ने कराया निलम्बित

कर्मचारी कराएंगे बहाल

फ़रीदाबाद (म.मो.) बिजली निगम के एसडीओ ईस्ट सचदेवा को बिना किसी कसूर के केवल सैशन जज के कहने पर 7 जून को निलम्बित कर दिया गया था, लेकिन कर्मचारी संगठनों की एकजुटता एवं संघर्ष के चलते निगम के मैनेजिंग डॉयरेक्टर सुधीर राजपाल को झुकना पड़ा। सर्वविदित है कि बिजली उत्पादन तथा आपूर्ति में आए दिन तरह-तरह के व्यावधान पड़ते रहते हैं। रोज़ कहीं न कहीं ब्रेक डॉउन होते रहते हैं। इसके लिए कभी किसी छोटे या बड़े अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया। लेकिन 7 जून को फ़ोर्ड ट्रैक्टर वाले सब स्टेशन से निकलने वाले प्रेरणा धाम फ़ीडर में ब्रेक डॉउन को लेकर एसडीओ सचदेवा को निलंबित कर दिया गया क्योंकि यह फ़ीडर अदालतों सहित तमाम जजों व अफ़सरों के घरों तक बिजली आपूर्ति करता है।

आमतौर पर क़र्मचारी संगठन अधिकारियों के बचाव में आंदोलन नहीं किया करते लेकिन इस सरासर नाइंसाफ़ी को देखते हुए इन संगठनों को संघर्ष में उतरना पड़ा। जब संगठनों ने पिछले दिनों यहां आई मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी, उर्जा सचिव मधुसुदन व एमडी राजपाल का घेराव करने की चेतावनी दी तो सरकार को झुकना पड़ा और शीघ्र ही एसडीओ को बहाल करने का आश्वासन देना पड़ा।

उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक दोपहर 1.35 पर फ़ीडर ब्रेक डॉउन हुआ। बिना आधुनिक यंत्रों के इसमें नुक्स ढूंढना बड़ा कठिन कार्य होता है, फ़िर भी कर्मचारियों व अधिकारियों ने एक घंटे फ़ाल्ट ढूंढ कर 2.35 पर लाइन बंद करने का परमिट ले कर नुक्स को ठीक करना शुरू कर दिया। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार 1.35 पर बंद हुई बिजली 3.45 पर पुन: चालू कर दी गई। सरकार द्वारा पूरी तरह पंगु बना दिए गए इस विभाग की यह एक बड़ी उपलब्धि है जो इतने कम समय में ब्रेक डॉउन फ़ीडर को चला दिया गया। लेकिन सैशन जज साहब इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए निगम के प्रबंध निदेशक को कह कर एसडीओ सचदेवा को निलंबित करा दिया। मज़े की बात यह है कि संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए अदालत परिसर में एक भारी भरकम जनरेटर लाखों रुपए की लागत से लगाया गया है। लेकिन कुप्रबंधन की वजह से वह नाकारा पड़ा है। जज साहब ने उसे दुरुस्त कराने की बजाए अपनी सारी ताकत बिजली निगम के एसडीओ पर झोंक दी।

जानकार बताते हैं कि सैशन जज आवास के पास एक ट्रांसफार्मर रखा है। जज साहब ने इसे हटा कर कहीं और लगाने के लिए कहा था क्योंकि इसमें यदा-कदा होने वाली स्पार्किंग से जज साहब की पत्नी को डर लगता है। यद्यपि नियमानुसार यह ट्रांसफार्मर हुडा वालों ने रखवाया था और इसे हटवाने का जिम्मा भी उन्हीं का है लेकिन जज साहब के दबाब में बिजली वालों ने इसे हटाने का ज़िम्मा ले लिया था। लेकिन किन्हीं कारणों से वे इसे अभी तक हटा नहीं पाए तो इससे भी जज साहब को एसडीओ सचदेवा पर गुस्सा था और अब बहाना मिल गया फ़ीडर के ब्रेक डॉउन का।

आमतौर पर क़र्मचारी संगठन अधिकारियों के बचाव में आंदोलन नहीं किया करते लेकिन इस सरासर नाइंसाफ़ी को देखते हुए इन संगठनों को संघर्ष में उतरना पड़ा। जब संगठनों ने पिछले दिनों यहां आई मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी, उर्जा सचिव मधुसुदन व एमडी राजपाल का घेराव करने की चेतावनी दी तो सरकार को झुकना पड़ा और शीघ्र ही एसडीओ को बहाल करने का आश्वासन देना पड़ा।

उक्त घटना से साबित होता है कि आज देश की अफ़सरशाही कितनी गैर ज़िम्मेदार व अन्यायी है। इसे काबू करने के लिए जनता व कर्मचारियों के मजबूत व जुझारू संगठनों की आवश्यकता है, वरना यह अफ़सरशाही जनता को खा जाएगी।

नालायक रिश्वतखोर एसएचओ अभी भी है कायम

फरीदाबाद (म.मो.) गतांक में पाठकों ने पढ़ा था कि किस प्रकार थाना एनआईटी के एसएचओ अब्दुल शाहिद ने बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज न करने के एवज में राजकुमार से 92000 रुपये की रिश्वत ली और शिकायत हो जाने पर जूठा मुकदमा दर्ज भी कर लिया।

जैसा कि गतांक में लिखा जा चुका है कि पूजा भारद्वाज नामक एक युवती ने एसएचओ अब्दुल शाहिद से सांठ-गांठ कर 2.2.10 को थाना एनआईटी में दरख्वास्त दी थी कि राजकुमार, उसके ड्राइवर तथा प्रीति नामक एक लड़की ने मिल कर दिन के 12.30 बजे सेक्टर-21 बी स्थित जीवा स्कूल के गेट से उसका अपहरण करके उससे बलात्कार कर दिया। कहानी क्योंकि एसएचओ की मिलीभगत से रची गई थी, इसलिए उसने तुरंत मुकदमा दर्ज करके पूजा की डॉक्टरी जांच व मौका मुआयना करने की जरूरत नहीं समझी। केवल रपट रोजनामचा नंबर 9 लिख कर राजकुमार को तलब कर लिया जो 3.2.10 को सुबह 10 बजे अपने परिवार व दोस्तों के साथ थाने में आ गया जहां रात के 10 बजे तक इन लोगों को प्रताड़ित किया गया, फिर रैपको न्यूज़ के रिपोर्टर राजू के माध्यम से 90,000 में सौदा तय हो जाने के बाद इन्हें अगले दिन रकम लाने की शर्त पर छोड़ दिया गया।

छपते-छपते

पुलिस के बिकाऊ व निकम्मेपन के चलते इस पूजा के हौंसले इतने बढ़ गए कि 15 जून को प्रात: 11 बजे यह भाड़े के एक गुंडे को लेकर रिंकू बेदी के 16 सेक्टर स्थित घर पहुंच गई जहां इसने व गुंडे ने घर के सारे शीशे व बर्तन तोड़ दिए तथा रिंकू की भाभी पर जान लेवा हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पीसीआर उसे पकड़ कर ले गई लेकिन कार्रवाई का विवरण अभी कुछ नहीं।

अगले दिन जब राजकुमार व उसके भाई रिंकू ने उक्त रकम एसएचओ के हवाले कर दी तो एसएचओ ने अपने एक मातहत से मौका मुआयना करवाया जिसके एवज में उस मातहत ने रिंकू से 2000 और वसूल लिये। इसके बाद एसएचओ ने थाने की सेक्टर-21 ए स्थित चौकी में रपट रोजनामचा नंबर-24 दर्ज की। इसमें वह लिखता है कि मौका मुआयना करने पर घटना तो असल पाई गयी है, लेकिन किसी संज्ञेय अपराध का होना नहीं पाया गया। अब यदि इस देश में कोई पूछने वाला हो तो इस नालायक एसएचओ से पूछे कि वह कौन सी घटना थी जो असल पायी गई ? और वह अपराध कौन सा था जो संज्ञेय होना नहीं पाया गया ?

- शेष पेज 2 पर

बिजली के नाम पर प्रदूषण फ़ैलाती व जनता की जेब काटती सरकार

पानीपत (म.मो) बिजली बनाना व बेचना एक विशुद्ध व्यावसायिक उपक्रम है न कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की तरह जन कल्याण का कार्य। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बिजली रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। बिजली उत्पादन के नाम पर अथवा इसकी कमी को दूर करने का ढोल पीट-पीट कर राजनेता व्यर्थ जनता को बरगला रहे हैं।

बिजली उत्पादन करके नेतागण कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। सरकार के अलावा हर कोई व्यापारी इस काम को कहीं अधिक बेहतर कर के खूब मुनाफ़ा कमा सकता है, बल्कि कमा भी रहे हैं।

हरियाणा सरकार के अलावा केंद्र सरकार का उपक्रम एनटीपीसी भी मोटे मुनाफ़े में चल रहा है। हरियाणा सरकार को उसी काम में भारी घाटा तथा बाकी संगठनों को भारी मुनाफ़ा ! जाहिर है, इसके पीछे नालायक एवं भ्रष्टाचारियों का एक टोल है जो न केवल मुनाफ़े को हड़प रहा है, बल्कि घाटे के नाम पर भी जनता को अच्छी-खासी चपत लगा रहा है। आज हरियाणा सरकार के थर्मल प्लांटों की कुल उत्पादन क्षमता 2630 मेगावाट है। गत पखवाड़े इस कुल क्षमता में से केवल 1498 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पाया यानी कुल क्षमता का मात्र 55 प्रतिशत। यही काम यदि एनटीपीसी कर रहा होता तो उत्पादन 85 से 95 प्रतिशत तक और निजी क्षेत्र वाले 100 प्रतिशत से 105 प्रतिशत तक उत्पादन करते।

यह तुलना केवल इतना सिद्ध करने के लिए है कि यदि काबिल और ईमानदार लोगों को सरकार काम करने दे तो ये सरकारी प्लांट भी मुनाफ़ा कमाने के साथ-साथ जनता को बिजली संकट से राहत दिला सकते हैं। यदि 2630 मेगावाट का उत्पादन होता तो राज्य में 600 से 700 मेगावाट बिजली फालतू हो सकती थी जिसे अन्य राज्यों को बेचा जा सकता था और 2630 मेगावाट उत्पादन होने पर जाहिर है, उत्पादन लागत भी आधे से कम हो जाती।

हरियाणा सरकार के बिजली प्लांटों में क्या-क्या नालायकियां या भ्रष्टाचार होते हैं, इसकी कुछ बानगी सुधी पाठकों ने गतांक में पढ़ी थी। इस बार पाठकों को इनसे निकलने वाली राख (फ्लाई ऐश) तथा प्रदूषण के बारे में अवगत कराया जा रहा है।

तय मानकों के अनुसार चिमनी तक जाने वाले धुएं को 64 ईएसपी (इलेक्ट्रो प्रेसीपिटेटरों) से होकर जाना चाहिए। इनका काम होता है धुएं में से राख के कणों की मात्रा को 100 से 150 एमजी प्रति क्यूबिक मीटर करना। यह इसलिए जरूरी होता है कि राख के खतरनाक कण जो चिमनी के 22 किलोमीटर तक के दायरे में फैलते हैं, लोगों में श्वास रोग व अन्य खतरनाक बीमारियां पैदा न करें।

लेकिन सरकार के क्षमता से आधी बिजली पैदा करने वाले कारखाने भरपूर प्रदूषण पैदा करते हैं। इनके धुएं में 150 के बजाय 1500 एमजी प्रति क्यूबिक मीटर राखीकण होते हैं जो 22 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों का जीना दूभर किये हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 64 ईएसपी में से मात्र छ:-सात ही काम करते हैं, बाकी सब खराब रहते हैं। प्रदूषण विभाग की खानापूर्ति के लिए प्लांट के अधिकारीगण रिश्वत देकर सहारनपुर स्थित सीपीआरईआई प्रयोगशाला से 100-150 एमजी राखीकणों का झूठा प्रमाण पत्र लेकर प्रदूषण विभाग को देते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण विभाग को इन बातों का पता नहीं। पता उन्हें भी सबकुछ है परंतु चोर-चोर मौसेरे भाई। लेकिन छपते-छपते यह पता चला है कि सहारनपुर की प्रयोगशाला नें इस बार झूठा प्रमाण पत्र देने से साफ मना कर दिया तथा अपनी वास्तविक रिपोर्ट में 1200 एमजी राखीकण दर्शाये हैं। जाहिर है, उन्हें मज़दूर मोर्चा द्वारा की जा रही जांच-पड़ताल का आभास समय रहते हो गया।

सुधी पाठकों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि ये राखीकण वातावरण में घुल कर जहां एक ओर तरह-तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, वहीं वित्तीय नुकसान भी करते हैं। एनटीपीसी इन्हीं राखी कणों को वातावरण में घुलने से रोक कर इन्हें राखी के रूप में बेच कर प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये कमा रहा है। चंद ईएसपी के कार्यरत होने से जो थोड़ी-बहुत राख एकत्र होती भी है तो उसके एक बहुत बड़े भाग को बेच कर अफ़सरान स्वयं हड़प जाते हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार 286 रुपये से लेकर 353 रुपये 18 पैसे प्रति मीट्रिक टन के भाव की बिक्री के पैसे तो सरकार में जमा होते हैं तथा प्रति ट्रक 500 रुपये मुख्यालय खर्च तथा 100-150 रुपये लोकल कमेटी खर्च बिना किसी रसीद के वसूले जाते हैं।

पानीपत में
मज़दूर मोर्चा
प्राप्त करें :
जय मां न्यूज़ एजेंसी
लाल बत्ती चौक
सतीश धवन
09896908150